(17)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या :– 2980 /जी0सी0ए0ओ0छ:/72ए/2016 दिनांक :– 07 अक्टूबर, 2016

नियुक्ति–आदेश

विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्र संख्या–1146/ विसेआ/1–विसेआ/2016 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा विभागीय अभ्यर्थियों की सहायक लेखाकार पद पर आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्ति हेतु चयन किये जाने के फलस्वरूप निम्न सहायक लेखाकार को वेतन बैण्ड–5200–20200 (ग्रेड वेतन रू0 3000/–) जिस पर कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता अन्य भत्ते देय है, में प्रारम्भिक दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि की शर्तो सहित अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए, प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ को आवंटित किया जाता है एवं उनकी तैनाती स्तम्भ संख्या–7 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

क0सं0	अनुक्रमांक	नाम/पिता का नाम/ जन्मतिथि/वर्ग	गृहजनपद	पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान पद एवं तैनाती का स्थान	सहायक लेखाकार पद पर तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	47219900	श्री दीपक कुमार/ श्री प्रमोद कुमार वार्ष्णेय/ 04.11.1984/ सामान्य	लखनऊ	के–1071, प्रमोद भवन, अपोजिट इण्डियन ऑयल ट्रान्जिट कैम्प, नियर पुलिस स्टेशन, आशियाना कालोनी, लखनऊ–226012, उ0प्र0	कार्यालय सहायक–द्वितीय, कार्यालय मुख्य अभियन्ता–जल विद्युत, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	कार्यालय उप महाप्रबन्धक (वितरण), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मध्यांचल वि0वि0 नि0लि0, लखनऊ

नोट:– उक्त सहायक लेखाकार की पारस्परिक ज्येष्ठता कारपोरेशन के नियमानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी।

सहायक लेखाकार के रूप में प्रशिक्षण निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ होगा जिसकी सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी।

नियम एवं शर्ते :–

2. अभ्यर्थी को सहायक लेखाकार के पद के अपने नव तैनाती के स्थान पर यह पत्र जारी होने के अधिकतम एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा एवं कार्यभार ग्रहण करते समय अधोलिखित अभिलेख/प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे जिनके बिना उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नही दी जायेगी। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उन्हें यह नियुक्ति स्वीकार्य नही है एवं कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय सीमा समाप्त होने पर यह नियुक्ति पत्र स्वयंमेव निरस्त माने जायेंगे। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तुरन्त उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

क– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके परिवार के आश्रितों द्वारा धारित चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारुप (संलग्न) में घोषणा।

ख– केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध राजनैतिक पार्टियों/संगठनों का सदस्य न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
ग– सत्यनिष्ठा के साथ कारपोरेशन की सेवा करने के सम्बन्ध में घोषणा।
घ– इस आशय का घोषणा पत्र कि अभ्यर्थी के एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है।
च– जो अभ्यर्थी परिषद्/कारपोरेशन में किसी पद पर स्थायी है उन्हें स्थायीकरण के आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त कार्य भार ग्रहण करने के स्थान पर शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र मूलरुप में प्रस्तुत करना होगा जिसे सम्बन्धित अधिकारी सत्यापन के उपरान्त वापस कर देंगे।
छ– जो अभ्यर्थी परिषद्/ कारपोरेशन में किसी भी पद पर स्थायी नहीं हैं उन्हें निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें :–

(i) सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ।

(ii) दो राजपत्रित अधिकारियों (जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हो) द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र ।

(iii) शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि । इसके अतिरिक्त यह प्रमाण पत्र मूलरुप में सम्बन्धित अधिकारी के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

(iv) अन्तिम शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमााण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी जिसे एक माह की नोटिस देकर दोनों पक्षों द्वारा समाप्त किया जा सकेगा, इस सम्बन्ध में कारपोरेशन एवं कार्मिक को यह अधिकार होगा कि नोटिस की सम्पूर्ण अवधि अथवा उसके किसी भाग को उस अवधि के वेतन का भुगतान करके प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

4. सम्बन्धित अभ्यर्थी नव तैनाती स्थान पर कार्य भार ग्रहण करते समय वर्तमान तैनाती स्थान द्वारा निर्गत अवमुक्ति ज्ञाप प्रति एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित एक पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेगें।

5. यदि किसी अभ्यर्थी के बारे में यह ज्ञात होता है कि उसने उक्त चयन परीक्षा में कोई असत्य तथ्य या सूचना प्रस्तुत की है या किसी आवश्यक तथ्य को जानबूझ कर छिपाया है और इस असत्य सूचना के आधार पर उसका चयन हुआ है तो नियुक्ति अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उसकी नियुक्ति बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी। अभ्यर्थी को इस कारण किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा।

6. अभ्यर्थी की कारपोरेशन में निरन्तर नियुक्ति उसके चरित्र सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं उप महानिरीक्षक विशेष शाखा, अधिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सत्यापन के सही पाये जाने के प्रतिबन्धाधीन होगी।

7. सेवा की अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा समय–समय पर निर्गत विनियम/ आदेशों से विनियमित होगी ।

8. वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा अवमुक्त करने से पूर्व निम्नलिखित सुनिश्चित किया जायेगा :–

(क) कार्मिक के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, सयंत्र या सामग्री अवशेष न हो।

(ख) कार्मिक के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण कार्यमुक्ति के दिनांक तक न चल रहा हो/सूचित न हो।

अन्यथा की स्थिति में समस्त प्रकरण नियुक्ति अधिकारी को अग्रिम निर्देशनार्थ संज्ञानित किया जायेगा।

<u>संलग्नक–यथोपरि</u>

<u>उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)</u>

<u>संख्या :– 2980 /जीसीएओछः/72ए/2016</u> <u>तद्दिनांक :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त)/(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
6. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ।

7. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एस.एल.डी.सी. परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूतिखण्ड फेस–2, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को उनके पत्रांक–1146/विसेआ/1–विसेआ/2016 दिनांक 03.10.2016 के सन्दर्भ में।
8. सचिव, उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (वितरण), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ को चयनित सहायक लेखाकार के चयन से सम्बन्धित डोजियर (मूलरूप में) इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे उक्त अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण कराये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करा लें कि –
1. आवेदन पत्र पर लगी फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशान, प्रवेश पत्र पर लगे फोटो, हस्ताक्षर अंगूठा निशान आदि आपस में मेल खाते है। 2. संगत सेवा विनियम में निहित प्राविधानों का अनुपालन तथा अभ्यर्थियों के अभिलेखों की मूल प्रमाण पत्रों से जॉच उनके स्तर से कराया जाना होगा। 3. अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों की सम्बन्धित संस्था से प्रमाणिकता की जॉच की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जानी होगी।
11. अधिशासी अभियन्ता, वेब साइट, कक्ष संख्या–407, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. सम्बन्धित अभ्यर्थी/अधिष्ठान सहायक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(राकेश वर्मा)
लेखाधिकारी (प्रशासन)